राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2511/2024

शकुन्तला देवी सहारण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर जोन (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़ (राज.)।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, Bhadra, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2024

आदेश की दिनांक : 20.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहराना, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद

पर नियम 1971 के तहत हुई थी और 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पूर्ण पश्चात् उसे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, झासल पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.02.2006 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1999 से स्थायी किया गया। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 06.03.1997 से सेवायें देना प्रारंभ किया और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2007 से दिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.10.1982 जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि अध्यापक ग्रेड तृतीय जिनकी नियुक्ति परिवीक्षा काल पर हुई है, उन पर नियम 97 लागू नहीं होता है और ऐसे कार्मिक देय लाभ कार्यग्रहण दिनांक से प्राप्त करने के हकदार हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के परिपत्र दिनांक 13.05.2000 में स्पष्ट है कि जो कार्मिक परिवीक्षा काल पर नियम 7(30) के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं, ऐसे कार्मिक ग्रीष्म अवकाश का वेतन आदि लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि असंवैधानिक एवं अवैध रूप से कार्मिक का ग्रीष्म अवकाश का लाभ वेतन आदि विभाग नहीं रोक सकता। जबकि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने जुलाई, 1999 से स्थायी किया है। जबकि अपीलार्थी ने मार्च, 1997 में कार्यग्रहण किया था और उसे कार्यग्रहण तिथी से न तो स्थायी माना गया और न ही चयनित वेतनमान आदि का लाभ देने हेतु सेवा अवधि की गणना की गई। अपीलार्थी को ग्रीष्मावकाश के लाभ से वंचित रखा गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को ग्रीष्म अवकाश का वेतन एवं चयनित वेतनमान आदि का लाभ देने हेतु उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये प्रदान किया जावे तथा वेतन निर्धारण करते हुये मय शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहराना, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। परंतु प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)